पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 276/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक- 05.09.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयीः-

01. थाना देवगांवः अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 04.09.2024 को उ0नि0 शिवश्याम मिश्र मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति सचिन यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी कपसेठा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को से एक नाजायज तमंचा 12 बोर व जेब से एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ कपसेठा से समय करीब 08.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 323/2024 धारा 83/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त सचिन यादव उपरोक्त पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02-थाना-निजामाबाद, आजमगढ़ : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि आज दिनांक 05.09.2024 को वादिनी/पीडिता द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्त खालिद पुत्र अज्ञात निवासी सुराई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने वादिनी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया जिसके सम्बन्ध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 432/24 धारा 69 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा चलाये जा रहे अभियान महिला सम्बन्धी अपराधों में अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 05.09.2024 को उ0नि0 रंजय सिंह मय हमराह द्वारा आरोपी अभियुक्त खालिद पुत्र असलम निवासी सुराई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ आजमगढ उम्र करीब 28 वर्ष को कोटिला रेलवे फाटक के पास से समय करीब 13:00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 रंजय सिंह, का0 राकेश यादव, का0 राहुल कुमार सिंह थाना निजामाबाद, आजमगढ़।

03. थाना देवगांवः शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 20.08.2024 को वादिनी मुकदमा थाना देवगांव जनपद आजमगढ ने थाना देवगांव पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी एक बाल अपचारी द्वारा शादी का झांसा देकर कंजहिता बाजार से बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म किया तथा मना करने पर आवेदिका/पीडिता को गाली गुप्ता देना व जान से मारने की धमकी देने लगा जिसके सम्बन्ध में थाना देवगांव पर मु0अ0सं0- 305/2024 धारा 366/376/504/506 भादवि बनाम 1. एक बाल अपचारी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 2. सुदामी पत्नी अज्ञात 3. गुड़ीया पत्नी अज्ञात 4. पुजा पुत्री अज्ञात 5. बृजेश पुत्र अज्ञात समस्त निवासीगण सिधौनी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र द्वारा संपादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.09.2024 को प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को कंजहित बाजार से समय 11.25 बजे पुलिस अभिरक्षा में लेकर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।